ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177020
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष चंद शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री कृषन चंद	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के ~~लेखों~~ अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.51
2	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	6.80
3	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.11
4	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.04
5	9.2	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	0.17
6	9.3	प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.30

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जो कि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	5	अनिर्णीत	
2	7	अनिर्णीत	

3	8	अनिर्णीत	
4	9	अनिर्णीत	
5	10	अनिर्णीत	
6	11	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, सम्बन्धित पत्र से पुष्टि उपरांत
2	4.4	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, सम्बन्धित पत्र से पुष्टि उपरांत
3	5	अनिर्णीत	
4	6	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, सम्बन्धित पत्र से पुष्टि उपरांत
5	7 (i,ii)	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, सम्बन्धित पत्र से पुष्टि उपरांत
6	7 (iii)(iv)	अनिर्णीत	
7	8	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, सम्बन्धित पत्र से पुष्टि उपरांत
8	9	अनिर्णीत	
9	10	अनिर्णीत	
10	11	अनिर्णीत	
11	12	अनिर्णीत	
12	13	अनिर्णीत	
13	14	अनिर्णीत	
14	15 (क)	निर्णीत	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत
15	15 (ख)	अनिर्णीत	
16	16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित ।
17	17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित ।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.06.2025 से 16.06.2025 तक ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय ~~आय~~ तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	08/2024	06/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है / पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103/2025 दिनांक 16/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कंगडा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित, हमीरपुर के DD NO – KAA 403585 दिनांक 23.06.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनांक 09.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (6) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	607192.27	118248.00	725440.27	131984.00	**593456.27**

(ख) अन्य अनुदान :-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1218386.00	3080659.99	4299045.99	2947907.99	**1351138.00**

(ग) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1445027.00	1527850.00	2972877.00	1163224.00	**1809653.00**

(घ) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत निधि	2024-25	607192.27	118248.00	725440.27	131984.00	**593456.27**
अनुदान (प्लानिंग)	2024-25	1218386.00	3080659.99	4299045.99	2947907.99	**1351138.00**
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1445027.00	1527850.00	2972877.00	1163224.00	**1809653.00**
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	3270605.27	4726757.99	7997363.26	4243115.99	**3754247.27**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005024427	593239.27
2	अनुदान (प्लानिंग)	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005056607	904660.00
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	इंडियन बैंक टिब्बी	7970903586	446478.00
4	15 वें वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046668	1809653.00
कुल योग				**3754030.27**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	**593456.27**
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	**1351138.00**
4	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	**1809653.00**
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	**3754247.27**

6	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)**	**217.00**
7	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	**3754030.27**
8	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	**3754030.27**
अंतर		**0.00**

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹13.51 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **राशि ₹1351138.00** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षो के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है"।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अवगत

करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है" । किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेषः-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनाँक 09.06.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर वसूली हेतु **राशि ₹150.00** शेष थी। अतः गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹6.80 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 3** अनुसार **राशि ₹679899.00** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट- 4** अनुसार **राशि ₹547897.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹10957.94** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही

की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार राशि ₹28972/- का कुल भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹3621.5/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 09 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु भुगतान से पूर्व समस्त दावों की नमूना जांच एवं सत्यापन सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करवानी/करनी सुनिश्चित की जाए।

9.2 राशि ₹0.17 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार **राशि ₹16909.00** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है|

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में नियमानुसार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें|

9.3 राशि ₹2.30 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत सलंग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार **राशि ₹230000/-** के करवाए गए कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को सचिव, ग्राम पंचायत से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक उपयुक्त अभिलेखों को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | वांछित अभिलेखों को अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जायें।

9.4 अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत करवाए गए कार्य में जे.सी.बी कार्य की लॉग बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 हेतु चयनित माह 06/2024 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत करवाए गए **"स्कूल का मैदान, गाँव कलसाई कार्य"** में जे.सी.बी मशीन से स्कूल के मैदान को समतल करवाया गया, जिसके लिए सेवा दाता/कर्ता श्री जपन सिंह को समय 67 घंटे 15 मिनट के विरुद्ध कुल **राशि ₹89103/-** का भुगतान किया गया। उक्त कार्य में जे.सी.बी मशीन द्वारा लिए गए कुल समय की सत्यापना हेतु लॉग बुक को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने की मांग की गई लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक लॉग बुक को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य से सम्बन्धित लॉग बुक को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | वांछित अभिलेखों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक व संदेहात्मक कार्य प्रतीत होता है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः जे०सी०बी० द्वारा की गई कार्य की प्रमात्रा का मूल्यांकन सत्यापन एवं नमूना जांच नियमानुसार सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जायें।

9.5 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गए कार्य में दोहरा भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन किया जाना अपेक्षित है तथा पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान के शीघ्र वसूली करने हेतु उतरदायी होगा।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया कि "**कार्य निर्माण टैंक सतीश कुमार**" को **राशि ₹600/-** कार्य के वोर्ड की लिखाई के रूप में वाउचर संख्या 52 व 53 द्वारा दोहरा भुगतान किया गया था जबकि वोर्ड लिखाई का भुगतान एक वार ही किया जाना निर्धारित है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102/2025 दिनांक 13/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जाएँ।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**प्रारूप संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
4	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 09 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों /अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97/2025 दिनांक 09.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि

01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

08 AUG 2025

5318-5322

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)3/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

Annexure

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मजोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	**स्व: स्त्रोत**	**607192.27**	**118248.00**	**725440.27**	**131984.00**	**593456.27**
2	अनुदान (प्लानिंग)	1218386.00	1026597.00	2244983.00	1340323.00	904660.00
3	स्वच्छ भारत मिशन (पीएफ़एमएस)	0.00	173353.00	173353.00	173353.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	0.00	501747.00	501747.00	55269.00	446478.00
5	**15 वें वितायोग**	**1445027.00**	**1527850.00**	**2972877.00**	**1163224.00**	**1809653.00**
6	मनरेगा	0.00	1378962.99	1378962.99	1378962.99	0.00
	कुल योग	**3270605.27**	**4726757.99**	**7997363.26**	**4243115.99**	**3754247.27**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1218386.00	3080659.99	4299045.99	2947907.99	**1351138.00**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	**2024-25**	**3270605.27**	**4726757.99**	**7997363.26**	**4243115.99**	**3754247.27**

Diff	217.00

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

17

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत मजोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020				
दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005024427	593239.27
2	अनुदान (प्लानिंग)	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005056607	904660.00
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	इंडियन बैंक टिब्बी	7970903586	446478.00
4	15 वें वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046668	1809653.00
कुल योग				**3754030.27**

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मजोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020								
दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-								
1	2	3	4	5	7			9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005024427	593239.27	593456.27	217.00	593239.27	**0.00**
2	अनुदान (प्लानिंग)	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005056607	904660.00	904660.00	0.00	904660.00	**0.00**
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	इंडियन बैंक टिब्बी	7970903586	446478.00	446478.00	0.00	446478.00	**0.00**
4	15 वें वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046668	1809653.00	1809653.00	0.00	1809653.00	**0.00**
कुल योग				**3754030.27**	**3754247.27**	**217.00**	**3754030.27**	**0.00**

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

20

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित		
ग्राम पंचायत मजोग सुलतानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3754247.27
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3754030.27
अन्तर		**217.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	593456.27
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1351138.00
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1809653.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3754247.27
5	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)	**217.00**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3754030.27
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3754030.27
अंतर		**0.00**

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev. Block Hamirpur (H.P.)

21

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	3600	586	50	29300	32900	32750	**150**

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev. Block Hamirpur (H.P.)

22

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	GIA Planning	C/O R/Wall near the land of Baldev Singh Vill.Panjali Adyala	3	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	15.8 7.9	29680-00
2	GIA Planning	C/O Path and R/Wall near Salasi Nala Village Panjali Adhyala	4	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	14.7 7.3	27544-00
3	GIA Planning	C/O P/Wall Soil Erosion in Village Panjali Adhyala	8	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	9.1 4.8	17439-00
4	GIA Planning	C/O S.Marg Main Road to the house of prem Singh Village Ropa	19	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhog	Stone	4.8	3835-00
5	GIA Planning	C/O S.Marg pastal Pull Main Road to the house of Ramesh Chand Village Guhal	30	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	5.65 3	10726-00
6	GIA Planning	C/O Path and R/Wall near Salasi Nala Village Panjali Adhyala	34	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	12 6	22541-00
7	GIA Planning	C/O S.Marg Main Road to the house of prem Singh Village Ropa	39	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	5.4 2.8	10375-00
8	GIA Planning	C/O Pucca Path Noun to house of Kartar Chand Village Majhog	45,46	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	5 3	10082-00
9	GIA Planning	C/O Pucca Path Noun to house of Kartar Chand Village Majhog	47	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhog	Stone	2.4	1917-00
10	GIA Planning	C/O S.Marg from the house Kekh Raj to the house of Jagat Ram Tilok and Tulsi Ram Village	66	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	6 5	14029-00
11	GIA Planning	C/O Hume Pipe Pully near the land of Parbhat Singh Surjeet Singh Village Guhal	73	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand Stone	13 6.5 5.66	30023-00
12	SBM	CSC Maihala Mandal Junjghar Majhog	2	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	10 5	18785-00
13	Mnrega	C/O Comminty Wire crate in the land of Fainki Ram Neelkash and Japan Singh Village Ropa	128	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Manjhot P.O Balduhak	Stone	55	43945-00
14	Mnrega	C/O sarvjnik Kuhal from Ravindar Kumar Field to Nala Village Majhog	867-868-869-87	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	15.7 7.8	29421-00
15	Mnrega	C/O R/Top Water Harvesting Tank of Anjna Kumari W/O Ved Parkash Village Majhog	884	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	8.36 5.66	17745-00
16	Mnrega	C/O P/wall near the house of Ram Asra Village Majhog	885	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	6 5.66	14939-00
17	Mnrega	C/O R/Top water Harvesting Tank of Santosh Kumar S/O Sukh Lal Village Sool	181	Sanjay Kumar S/O Baldev Singh Village Anu Kalan P.O Hamirpur	Aggregate Sand	7.75 5.1	16011-00
18	Mnrega	C/O P/wall Near the house of Kanta Devi W/O Subhash Chand Village Sool	182	Sanjay Kumar S/O Baldev Singh Village Anu Kalan P.O Hamirpur	Aggregate Sand	5.5 3	10774-00
19	Mnrega	C/O R/Top water Harvesting Tank of Satish Kumar S/O Hari Ram Village Balla Girtha	803	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	7.15 7.15	18360-00
20	Mnrega	C/O Land Dev.and P/Wall Ramesh Chand S/O Duni Chand Village Majhog	180	Sanjay Kumar S/O Baldev Singh Village Anu Kalan P.O Hamirpur	Aggregate sand	9.85 5.4	19333-00
21	Mnrega	C/O Land Dev.and P/Wall Ramesh Chand S/O Roshan lal Village Majhog	187	Sanjay Kumar S/O Baldev Singh Village Anu Kalan P.O Hamirpur	Aggregate Sand	5.65 5.65	14649-00
22	Mnrega	C/O P/Wall Near the house of Rajesh Kumar S/O Amar Nath Village Majhog	186	Sanjay Kumar S/O Baldev Singh Village Anu Kalan P.O Hamirpur	Aggregate Sand	10.4 5.6	19800-00
23	Mnrega	C/O P/Wall Kuldeep Singh S/O Raghubeer Singh Village Panjali	786	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	10.25 5.2	19400-00
24	Mnrega	C/O P/Wall Banshi Ram S/O Shakti Chand Village Majhog Khas	787	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	10 5.5	19652-00
25	Mnrega	C/O Land Dev.and P/Wall near the house of Harnam Singh Villgae Majhog	801	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	11.3 5.66	21240-00
26	Mnrega	C/O P/Wall Sandhya Devi W/O Sarwan Singh Village Majhog	801	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	5.66 5.66	14534-00
27	Mnrega	C/O P/Wall Madan Lal S/O Hari Ram Village Balla Girtha	836	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate Sand	5.66 5.66	14522-00

23

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

		[illegible]		[illegible] P.O Majhog Sultani	Sand	[illegible]	
28	Mnrega	C/O P/Wall Ashok Kumar S/O Sant Ram Village Sool	635	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate	11.32	21264-00
					Sand	5.66	
29	Mnrega	C/O P/Wall Near the house of Kishori lal Village Sool	804	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate	14.45	26902-00
					Sand	8.5	
30	Mnrega	C/O Pully Village Sool Telku Nala Below the field of Dharam Chand	822-823-824-825-826-827-828	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate	26.9	51970-00
					Sand	14.5	
31	Mnrega	C/O R/Top W.H.Tank Sanjeev Kumar S/O Roshan Lal Village Paddar	725	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Aggregate	11.32	18293-00
					Sand	5.67	
32	Mnrega	C/O R/Top W.H.Tank Sanjeev Kumar S/O Roshan Lal Village Paddar	911	Raj Stone Crusher Pung Khad H/O Baru	Sand	1.9	2281-00
33	Mnrega	C/O R/Top Water Harvesting Tank Raj Kumar S/O Gian Chand Village Sool	901	Raj Stone Crusher Pung Khad H/O Baru	Aggregate	11.34	18149-00
					Sand	5.67	
34	Mnrega	C/ O Amrit Vatika and Plantation in G.P Majhog Sultani	913	Raj Stone Crusher Pung Khad H/O Baru	Aggregate	2	3209-00
					Sand	1	
35	Mnrega	Upgradation of Amrot Sarovar Village Ropa	904	Raj Stone Crusher Pung Khad H/O Baru	Aggregate	29	46530-00
					Sand	14.5	
Total						=	679899/-

Secretary [signature]
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Sand and Aggregate	547897.00	10957.94
कुल योग					**10957.94**

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

25

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित									
ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी/ विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर									
पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने बारे									
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	GIA Planning	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhog	19	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhog	Stone	4.8	3835	12.5	479.375
2	GIA Planning	C/O Pucca Path Noun to house of Kartar Chand Village Majhog	47	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhog	Stone	2.4	1917	12.5	239.625
3	GIA Planning	C/O Hume Pipe Pully near the land of Parbhat Singh Surjeet Singh Village Guhal	73	Avnish Shama Govt.Contractor Village Paddar P.O Majhog Sultani	Stone	5.66	5603	12.5	700.375
4	Mnrega	C/O Comminty Wire crate in the land of Fainki Ram Neelkash and Japan Singh Village Ropa	128	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Manjhot P.O Balduhak	Stone	19.66	15700	12.5	1962.5
5	Mnrega	C/O Drain Raj Kumar House to Community Bhawan Village Guhal	19	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Manjhot P.O Balduhak	Stone	2.4	1917	12.5	239.625
Total							28972	12.5	3621.5

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर						
सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे						
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o Tank of satish kumar vill Ball Girtha	6768 16.08.24	Roop trading Co. vpo Chowki jamwalan Hamirpur	TMT	5040.00
2	Own Sources	Office Expenses	05 07.05.24	Jagota Online Services, vill Kutheda, Hamirpur	Stationery	2540.00
3	RGSA	C/o CSC gram panchayat Majog Sultani	1126 18.04.25	HPSCSC LTD Pakka bhro	Cement	9329.00
Total						**16909.00**

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

27

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत मझोग सुलतानी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर			
प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे			
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	GIA Planning	C/o samparkmarg from main road to prem singh house vill ropa	40000
2	GIA Planning	C/o Playground vill kalsai	150000
3	GIA Planning	C/o samparkmarg from main road to ramesh chand house vill Ruhal	40000
Total			230000

Secretary
Gram Panchayat Majhog Sultani
Dev Block Hamirpur (H.P.)

28